न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वर्ष 2023

राजस्व निगरानी संख्या 15 / 23
जीसीएमएस संख्याः– (2023 / 85
बउनवानीः– 1. रामस्वरूप पुत्र कल्याण मीना निवासी चकेरी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. आशाराम पुत्र श्री रामपाल दत्तक पुत्र सीताराम मीना नि0चकेरी तह0 सवाईमाधोपुर
2. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 09.01.1978 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

वकील प्रार्थी

उपस्थितः– 1. श्री श्याम सुन्दर शर्मा

दिनांक 30.4.2025

–: निर्णय :–

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 09.01.1978 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी किन्तु आप्रार्थी बावजूद तामील नोटिस न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जाकर बहस प्रार्थी पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति सवाईमाधोपुर द्वारा अप्रार्थी के पिता सीताराम पुत्र भैरू मीना निवासी ग्राम चकेरी के पक्ष में ग्राम चकेरी की आराजी ख0न0 982 रकबा 2 बीघा,ख0न0 1176 रकबा 1बीघा, ख0न0 1177 रकबा 5 बिस्वा का दिनांक 9.1.1978 को किये गये नियमन पटटा आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतो के विपरीत है जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि विवादित ख0न0 982,1176 एवं 1177 वाके ग्राम चकेरी की किस्म राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है कथन के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2047 एवं नामा0 संख्या 87 दिनांक 4.11.1993 की प्रति पेश की गयी जिसमे उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है। उक्त भूमि आम जनता के आने जाने के लिए रास्ते के रूप मे उपयोग मे ली जाती है इसलिए उक्त भूमि नियमन योग्य नही होने के बावजूद भी आवंटन सलाहकार समिति सवाईमाधोपुर ने मौके पर वास्तविक स्थिति की जॉच किये बिना ही नियमन पटटा आदेश दिये जाने मे अहम भूल की है इसलिए उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। उक्त विवादित भूमि से लगती हुई प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने से प्रार्थी का लगभग 60 वर्षो से अधिक समय से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है इसलिए आवंटन आदेश निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि सेंटलमेंट विभाग द्वारा वर्तमान मे उक्त नियमन पटटा आदेश के खसरा नम्बर 982 रकबा 2 बीघा के वर्तमान ख0न0 298/2830 रकबा 0.50 है0 ख0न0 1176 रकबा 1 बीघा तथा ख0न0 1177 रकबा 5 बिस्वा के वर्तमान ख0न0 1668/2843 रकबा 0.31 है0 बने है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति सवाईमाधोपुर ने अप्रार्थी संख्या एक के पिता सीताराम पुत्र भैरूलाल मीना निवासी चकेरी के पक्ष में किये गये नियमन आदेश हर खास आम को सूचित किये बिना ही एक तरफा मे दिये गये है जो आवंटन नियमों के विरूद्व होने से नियमन आदेश दिनांक 9.1.1978 निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी के पिता सीताराम पुत्र भैरू मीना ने वास्तविक हिस्से की भूमि को छिपाकर नियमन के आदेश करवाये है क्योकि नियमन से पूर्व एवं नियमन के पश्चात आज दिनांक तक विवादित भूमि पर अप्रार्थी एवं उसके पिता का कभी कब्जा काश्त नही रहा है जिसकी पुष्टि तहसीलदार सवाईमाधोपुर से तलब की गयी रिपोर्ट पत्रांक 3292 दिनांक 8.4.2025 से भी हो जाती है जिसके अनुसार साबिक ख0न0 982 से बने हाल ख0न0 298/2830 रकबा 0.50 है0 मे से लगभग 0.10 है0 पर अप्रार्थी आशाराम का कब्जा तथा शेष भूमि

.....(1).....

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:07 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पर अन्य परिवारजनो को कब्जा काश्त बताया गया है एवं साबिक ख0न0 1176,1177 से बने हाल ख0न0 1668/2843 रकबा 0.31 है0 पर प्रार्थी रामस्वरूप का कब्जा काश्त (अमरूद्व के पेड लगे होना) बताया गया है। इस प्रकार नियमन की गयी भूमि मे से मात्र 0.10 है0 भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है। शेष भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त आवंटन के समय एवं वर्तमान मे भी नही रहा है।

यह तर्क भी दिया कि उक्त विवादित भूमि के नियम मे आवंटन नियम,1970 की धारा 13(3ए) का उल्लघंन होने से भी आवंटन निरस्त योग्य है कथन के समर्थन में आरआरडी 1982 एनओसी 21 पेश की गयी। यह तर्क भी दिया कि अवैद्य आवंटन/नियमन को कभी निरस्त किया जा सकता है कथन के समर्थन में आरआरटी 2015(2) पेज संख्या 790 पेश की गयी। गै0मु रास्ते की भूमि के किये गये आवंटन/नियमन से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 का उल्लघंन होता है अर्थात रास्ते की भूमि आवंटन योग्य नही है कथन के समर्थन में आरआरडी 1985 पेज संख्या 750 पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर निगरानी की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.5.2023 को पटवारी हल्का के बताये जाने पर प्राप्त होने पर दिनांक 16.5.2023 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 24.5.2023 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से निगरानी प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थाना पत्र के पेश की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अप्रार्थी के पिता सीताराम पुत्र भैरू मीना के पक्ष में ग्राम चकेरी की आराजी साबिक ख0न0 982/1124 रकबा 2 बीघा,ख0न0 1176 रकबा 1 बीघा, ख0न0 1177 रकबा 5 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता का किया गया नियमन पटटा आदेश विधि विरूद्व है क्योकि गै0मु0 रास्ते की भूमि का नियमन/आवंटन किये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 का उल्लंघन होता है ओर इस प्रकरण मे धारा 16 का उल्लंघन हुआ है जिसके संबंध मे वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1985 पेज संख्या 750 एवं अवैध आवंटन को कभी भी निरस्त किये जाने बाबत किये गये कथन के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2015(2) पेज संख्या 790 भी इस प्रकरण मे बखूबी चस्पा होते है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 8.4.2025 के अनुसार भी आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही है। आवंटन आदेश एवं नामा0 संख्या 87 दिनांक 4.11.1993 मे भी ख0न0 1176,1177 एवं 982 मिन किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है जो सीताराम के नाम ट्रान्सफर हुई है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग मे आने वाली रास्ते की भूमि है जिसपर प्रार्थी भी कब्जा नही कर सकता है। रास्ता आम जनता के लिए है जिसका उपयोग रास्ते के रूप मे ही किया जा सकता है तथा उक्त रास्ते की भूमि का आवंटन किसी को भी नही किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी के पिता के पक्ष में किया गया आवंटन/नियमन विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 09.01.1978 खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि गै0मु0 रास्ते के आवंटन के अन्य कोई प्रकरण हो तो उनका भी रैफरेन्स बनाकर न्यायालय मे पेश कर रास्ता खुलवाने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.4.2025 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:07 IST
Reason: SelfAttested